GOVERNMENT OF RAJASTHAN FINANCE DEPARTMENT (TAX DIVISION)

NOTIFICATION Jaipur, February 10, 2023

In exercise of the powers conferred by section 18 and 22 of the Rajasthan Finance Act, 2020 (Act No. 9 of 2020), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that if the fifty percent of the arrears of land tax payable upto 31.12.2022 is deposited by the assesse upto 30.06.2023 then the remaining fifty percent arrears of land tax as well as 100 percent interest and penalty payable on total arrears of land tax shall be remitted.

[No.F.4(2)FD/Tax/2023-38] By order *g* f the Governor,

(Namrata Vrishni) Joint Secretary to the Government

राजस्थान सरकार वित्त विभाग (कर अनुभाग) अधिसूचना जयपुर, फरवरी 10, 2023

राजस्थान वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम सं. 9) की धारा 18 और 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि यदि 31.12.2022 तक संदेय भूमि कर के बकाया का पचास प्रतिशत दिनांक 30.06.2023 तक निर्धारिती द्वारा जमा करा दिया जाता है तो भूमि कर के बकाया का शेष पचास प्रतिशत और साथ ही भूमि कर के कुल बकाया पर संदेय सौ प्रतिशत ब्याज और शास्ति का परिहार किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2023-38]

राज्यपाल ,के आदेश से,

(नम्मता वृष्णि) संयुक्त शासन सचिव